

STC/CO/PER/IR/02076(Vol-V)/2017

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

May 15th, 2018

Circular No: IR/09/2018

Ref: i) Circular No: IR/04/2018 dated 15.03.2018
ii) Circular No: IR/08/2018 dated 13.04.2018

Subject: Review of STC Retired Employees' Medical Benefit Scheme – 1981.

In compliance of the direction of the Hon'ble High Court of Delhi, vide order dated 10.04.2018, in the W.P. (C) 3454/2018 & CMs 13624-25/2018 communicated to the Advocate of STC by Hon'ble High Court of Delhi vide letter No. 10458/DHC/WRITS/D-8/2018 dated 12.04.2018, the STC Retired Employees' Medical Benefit Scheme – 1981 which was suspended vide Circular No. IR/04/2018 dated 15.03.2018 and later restored vide Circular No. IR/08/2018 dated 13.04.2018 with immediate effect, till further orders.

2. In the Speaking Response issued to the STC Ex-employees Welfare Association, Delhi on 03.05.2018, it was informed to the Association that due to the precarious financial position of the Corporation, it is not in the interest of the Corporation to withdraw the impugned Circulars dated 30.10.2017 and 15.03.2018.

3. Accordingly, Circular No: IR/08/2018 dated 13.04.2018 is revoked with effect from 16.05.2018. Consequently, STC Retired Employees' Medical Benefit Scheme – 1981 is again suspended with effect from 16.05.2018 till further orders.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.



(T. Kerketta)

General Manager (Pers.)

Distribution:

- All CGMs/GMs
 - All Branch Managers
 - All Divisional Heads, CO
 - JGM(F) (A&E) – Hard Copy
 - Medical Section – Hard Copy
 - Notice Board – Hard Copy
 - Website
- } e-mail

Copy to:

- Exe. Secy to CMD
- Exe. Secy to Director(Personnel)
- Exe. Secy to Director(Finance)
- Exe. Secy. to Director(Marketing)
- Exe. Secy to CVO

Copy also to: STC Ex-employees Welfare Association, 72-D, Pocket – III,
MayurVihar, Phase-I, Delhi – 110034.

एसटीसी/मुख्या./का./औ.सं./02076(खंड-V)/2017

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली
(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

15 मई, 2018

परिपत्र संख्या: औ.सं./09/2018

संदर्भ: परिपत्र संख्या: औ.सं./04/2018 दिनांक 15.03.2018

संदर्भ: परिपत्र संख्या: औ.सं./08/2018 दिनांक 13.04.2018


विषय: एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना-1981 की समीक्षा

डब्ल्यू.पी.(सी)3454/2018 और सीएमएस13624-25/2018 के मामले में दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के आदेश के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों जो सं.10458/डीएचसी/डब्ल्यूआरआईटीएस/डी-8/2018 दिनांक 12.04.2018 के माध्यम से एसटीसी के वकील को सूचित किए गए, के अनुपालन में एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना-1981 जो दिनांक 15 मार्च, 2018 के परिपत्र सं. औ.सं./04/2018 के तहत निरस्त की गई थी, और बाद में 13 अप्रैल, 2018 के परिपत्र सं. औ.सं./08/2018 के तहत तत्काल प्रभाव से आगे आदेशों तक बहाल की गयी।

2. एसटीसी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली को 03.05.2018 को जारी किए गए मुखर उत्तर में एसोसिएशन को यह सूचित किया गया था कि कॉर्पोरेशन की नाजुक वित्तीय स्थिति के कारण, दिनांक 30.10.2017 और 15.03.2018 के विवादित परिपत्रों को वापस लेना कॉर्पोरेशन के हित में नहीं है।

3. तदनुसार, दिनांक 13.04.2018 के परिपत्र सं.औ.सं./08/2018 को 16.05.2018 से रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना-1981 को 16.05.2018 से अगले आदेशों तक पुनः निरस्त किया जाता है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(टी.के.के.ट्टा)

महाप्रबंधक(कार्मिक)

वितरण:

- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- सभी शाखा प्रबंधक
- सभी प्रभागध्यक्ष, मुख्यालय
- संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त) (लेखा एवं स्थापना)
- चिकित्सा अनुभाग
- सूचना पट्ट
- एसटीसी वेबसाइट

प्रतिलिपि:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(कार्मिक) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(वित्त) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(विपणन) के कार्यकारी सचिव
- मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव

प्रतिलिपि:एसटीसी भूतपूर्व कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जीडी-107, पीतमपुरा, दिल्ली-110034